राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान
01432–247389, मो0नं0–9667489786 ई–मेल–maapri-rj@nic.in

कमांकः एफ0 26 (3)पार्ट–V/केयर टेकर/एपीआरआई/2018–2019/ 999 दिनांकः 5/6/18

विज्ञप्ति

इस निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए निम्नलिखित कार्यो की खुली निविदाएं उनके नाम के सामने अंकित विवरणानुसार सम्बन्धित कार्यो हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी से दिनांक 21–06–2018 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन सांय 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगीः–

क0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा फार्म शुल्क	अमानत राशि	निविदा आमंत्रण की तिथि	निविदा खोलने की तिथि
01.	बागवानी, चौकीदार, सफाईकर्मी पलम्बर एंव विद्युत संबंधी कार्य।	5.00 लाख	200/–	10000/–	21–06–2018	21–06–2018
02.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	0.90 लाख	200/–	1800/–	21–06–2018	21–06–2018

निविदा प्रपत्र क0सं0 1 व 2 के लिए अलग–अलग भरना आवश्यक है तथा निविदा संबंधी शर्ते मय निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय मे निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है। उपरोक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.maapritonk.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान,
टोंक, राजस्थान

रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के आधार पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु (बागवानी इत्यादि) कार्यों की निविदा शर्ते वर्ष 2018–19

निविदा देने वालों को इन शर्तो को सावधानी से देखना एंव समझना चाहिए। निविदा देते समय इनका पूर्ण पालन करना चाहिए। यदि निविदादाताओं के निविदा सूचना शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इनके बारे में सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। निविदादाता इसे मानने के लिए बाध्य होगें।

1. निविदा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील किये गये लिफाफे में ही स्वीकार की जावेगी। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में संविदा पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
4. निदेशक, संस्थान को निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का बिना कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा।
5. निविदा प्रपत्र एंव शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है जो दरें अंकित की गई है वह निविदा फार्म की पूर्ण अवधि हेतु मान्य होगी। अवधि में आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकती है।
6. दर प्रत्येक पद के कार्य हेतु अलग–अलग व स्पष्ट अंकित की जावे। कार्य स्थल पर आने जाने हेतु कोई अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
7. कार्य का समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक का होगा लेकिन आवश्यक कार्य होने के कारण समय से पूर्व एंव बाद तक रोका जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य उनको दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।
8. दरें अंको व शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होने की स्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिए यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हो तो "दरें नहीं अंकित करनी है" स्पष्ट अंकित किया जावे।
9. समय पर व्यक्ति जिस पद के लिए अनुबन्ध किया है उपलब्ध नहीं कराने पर होने वाली हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
10. दरे अनुमोदित होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से दस दिवस में व्यक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा शर्त सं0 12 के हिसाब से शास्ति देय होगी।
11. अनुबन्ध पर रखे गये व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उस व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति तीन दिवस में रखना होगा।
12. अनुबन्ध पर रखे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली किसी भी हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
13. व्यक्तियों के रखने की विलम्ब की स्थिति में शास्ति निम्नानुसार देय होगी:–
    - अ– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 अवधि से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 2 प्रतिशत
    - ब– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 5 प्रतिशत
    - स– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/2 से अधिक लेकिन 3/4 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 7.5 प्रतिशत
    - द– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 3/4 से अधिक लेकिन व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि तक उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह की दर का 10 प्रतिशत।

लगातार.........................

14. यदि समय पर व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग अपने स्तर से अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है तो अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
15. आदेशित व्यक्ति उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में इसे अनुबन्ध का खण्डन माना जावेगा एंव निदेशक संस्थान को अमानत राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. प्रतिभूति राशि निविदा राशि की 5 प्रतिशत होगी। अमानत राशि/प्रतिभूति राशि नियमानुसार नकद/बैकर्स चैक/ड्राफट द्वारा जमा कराई जा सकती है। सफल निविदा दाता को तीन दिवस के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। अमानत राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकेगी।
17. अमानत राशि/प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जावेगी। प्रतिभूति राशि अनुबन्ध समाप्ति के छः माह पश्चात् लौटा दी जावेगी। इस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
18. सफल निविदादाता 500/– के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध कर प्रस्तुत करना होगा।
19. फर्म को सर्विस टैक्स/आयकर एंव अन्य कर जो राज्य सरकार को देय हो नियमानुसार जमा कराने होगें तथा फर्म का GST रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
20. नियोजित श्रमिकों को बागवानी, सफाई, पलम्बर एंव विद्युत संबंधी औजार एंव कन्जूमेबल आइटम विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें। ठेकेदार कुशल, अकुशल श्रमिक उपलब्ध करायेगा।

निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान

राजस्थान सरकार

मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक, राजस्थान

रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के आधार पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु (कम्प्यूटर मय ऑपरेटर) कार्य की निविदा शर्ते वर्ष 2018–19

निविदा देने वालों को इन शर्तो को सावधानी से देखना एंव समझना चाहिए। निविदा देते समय इनका पूर्ण पालन करना चाहिए। यदि निविदादाताओं के निविदा सूचना शर्तो की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह हो तो निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व इनके बारे में सक्षम अधिकारी से स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम होगा। निविदादाता इसे मानने के लिए बाध्य होगें।

1. निविदा विभाग द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार की जावेगी।
2. निविदा राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड ठेकेदार/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकेगी।
3. निविदा उचित रूप से सील किये गये लिफाफे में ही स्वीकार की जावेगी। लिफाफे पर स्पष्ट अक्षरों में संविदा पर कर्मचारी आपूर्ति हेतु निविदा अंकित होना चाहिए।
4. निदेशक, संस्थान को निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का बिना कारण बताये पूर्ण अधिकार होगा ।
5. निविदा प्रपत्र एंव शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है जो दरें अंकित की गई है वह निविदा फार्म की पूर्ण अवधि हेतु मान्य होगी। अवधि में आपसी सहमति से वृद्धि की जा सकती है।
6. कार्य स्थल पर आने जाने हेतु कोई अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं की जावेगी।
7. कार्य का समय प्रातः 9.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक का होगा लेकिन आवश्यक कार्य होने के कारण समय से पूर्व एंव बाद तक रोका जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य उनको दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही करना होगा।
8. दरें अंको व शब्दो दोनो में अंकित की जानी चाहिए इनमें कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होने की स्थिति में हस्ताक्षर किये जाने चाहिए यदि किसी कार्य हेतु दरें नहीं देनी हो तो "दरें नहीं अंकित करनी है" स्पष्ट अंकित किया जावे।
9. समय पर व्यक्ति जिस पद के लिए अनुबन्ध किया है उपलब्ध नहीं कराने पर होने वाली हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
10. दरे अनुमोदित होने के पश्चात् कार्य आदेश तिथि से दस दिवस में व्यक्ति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा शर्त सं0 12 के हिसाब से शास्ति देय होगी।
11. अनुबन्ध पर रखे गये व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर उस व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति तीन दिवस में रखना होगा।
12. अनुबन्ध पर रखे जाने वाले व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली किसी भी हानि के लिए ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदार होगी।
13. व्यक्तियों के रखने की विलम्ब की स्थिति में शास्ति निम्नानुसार देय होगीः–
    - अ– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 अवधि से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 2 प्रतिशत
    - ब– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 5 प्रतिशत
    - स– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 1/2 से अधिक लेकिन 3/4 तक अवधि में विलम्ब से उपलब्ध कराने पर प्रतिमाह की दर का 7.5 प्रतिशत
    - द– व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि के 3/4 से अधिक लेकिन व्यक्ति उपलब्ध कराने हेतु दी गई अवधि तक उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह की दर का 10 प्रतिशत।

लगातार.........................